संख्या- 18/2016/1233/अडतीस-7-2016-46नरेगा/2015

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 12 अगस्त 2016**

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत बाढ प्रभावित क्षेत्रों में अनुमन्य कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मनरेगा योजनान्तर्गत सूखा, बाढ इत्यादि भौगोलिक परिस्थितियों में योजनानतर्गत अनुमन्य कार्यों में से मांग/आवश्यकता के अनुरूप कार्यों को कराकर प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न कठिनाईयों से कुछ हद तक निपटा जा सकता है। बाढ समस्या के निराकरण हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की मार्गदर्शिका(महात्मा गांधी नरेगा दिशा-निर्देश 2013) के प्रस्तर- 7.1.3 के अनुसार बाढ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं, जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों में, पानी की निकासी, बाढ नालों को गहरा करना और मरम्मत करना, चौर नवीनीकरण, तटीय संरक्षण के लिए स्टोर्मवॉटर ड्रेनों को निर्माण, विपथन मार्ग, विपथन वियर, पेरीफेरल/क्रास बांध, बाढ चैनल की मरम्मत, गहरा करना, मध्यम एवं सम्पर्क नालों का निर्माण इत्यादि कार्य, जो योजनान्तर्गत अनुमन्य है, को आवश्यकता/शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में अनुमोदन के आधार पर नियमानुसार कराने का कष्ट करें।

कृपया उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 18/2016/1233 (1)/अइतीस-7-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
5- अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
8- राजस्व अनुभाग-11
9- ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।